



# वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कैशलेस लेन-देन और ई-भुगतान के लिए मोबाइल बैंकिंग/ई-बैंकिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अनेक कदम उठाए हैं 'सीपीजीआरएएमएस' के तहत 4508 शिकायतों में से 4475 का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सरल एवं मजबूत बनाने हेतु चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अनेक कदम उठाए हैं

Posted On: 04 JAN 2017 9:02AM by PIB Delhi

## वर्षान्त समीक्षा - 2016

### व्यय विभाग

चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) के प्रमुख सुधार, नीतिगत कदम एवं उपलब्धियां निम्नलिखित रही-

#### सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे एनआईसी के तकनीकी सहयोग से महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय द्वारा विकसित एवं क्रियान्वित किया गया है। पीएफएमएस का मुख्य उद्देश्य एक बेहतर कोष प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ एक भुगतान सह लेखांकन नेटवर्क की स्थापना कर भारत सरकार के लिए एक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में पीएफएमएस विभिन्न हितधारकों को वास्तविक समय पर एक विश्वसनीय एवं सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक कारगर निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) मुहैया कराती है।

पीएफएमएस की सबसे बड़ी खासियत देश के बैंकिंग नेटवर्क के साथ इसका एकीकरण करना है। इसके परिणामस्वरूप पीएफएमएस में एक अनोखी क्षमता है जिसकी बदौलत वह देशभर में किसी भी बैंक में खाता रखने वाले लगभग सभी लाभार्थियों/वेंडरों को ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।

#### पीएफएमएस के तहत उपलब्धियां-

- अब तक लगभग 18 लाख क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को पीएफएमएस पर पंजीकृत किया जा चुका है (30 नवंबर, 2016 तक)।
- पीएफएमएस में पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों की कुल संख्या 19.07 करोड़ है (30 नवंबर, 2016 तक)।
- कुल केन्द्रीय डीबीटी भुगतान 37 योजनाओं के लिए 33417.36 करोड़ रुपये के 26.52 करोड़ लेन-देन हेतु किया गया है (वर्ष 2016-17 में 30 नवंबर तक)।
- कुल राज्य स्तरीय डीबीटी भुगतान 27 योजनाओं के लिए 4363.28 करोड़ रुपये के 2.88 करोड़ लेन-देन हेतु किया गया है। (वर्ष 2016-17 में 30 नवंबर तक)।

#### आंतरिक ऑडिट के तहत नये कदम/उपलब्धियां

- महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने आंतरिक ऑडिट से जुड़े कार्यों के मार्ग दर्शन के लिए जेनरिक आंतरिक ऑडिट नियमावली के रूप में एक जोखिम आधारित नियंत्रण रूपरेखा विकसित की है। इस नियमावली में न केवल आंतरिक ऑडिट कार्यों से जुड़ी जटिलताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि इसके तहत ऑडिट प्रक्रिया, टेम्पलेट्स और दिशा-निर्देशों को उपलब्ध कराते हुए समूची प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स (आईआईए) इंडिया के सहयोग से जेनरिक आंतरिक ऑडिट नियमावली के दूसरे संस्करण को विकसित करने का कार्य भी नवंबर 2016 में शुरू हो गया है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेज फ्रेमवर्क (आईपीपीएफ) के मुताबिक संशोधित जेनरिक आंतरिक ऑडिट नियमावली विकसित की जाएगी। संशोधित संस्करण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के जेंडर ऑडिट से संबंधित दिशा-निर्देशों को भी इसमें समाहित किया जा सके।
- वर्ष 2015-16 के लिये सिविल मंत्रालयों/विभागों में संगठन की फील्ड इकाइयों द्वारा किये गये आंतरिक ऑडिट की वार्षिक समीक्षा वित्त मंत्रालय को पेश की जा चुकी है। वित्तीय प्रभावों के आधार पर ऑडिट से जुड़े निष्कर्षों को निर्धारित किया गया है और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के तहत 85392.20 करोड़ रुपये की राशि शामिल है-

क्र. सं.	अनियमितताओं का स्वरूप	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1.	केन्द्र सरकार के विभागों/राज्य सरकार/सरकारी निकायों/निजी पक्षों से सरकारी वकाये की गैर-वसूली के मामले	53610.67
2.	अधिक भुगतान के मामले	193.27
3.	बेकार पड़ी मशीनरी/अतिरिक्त स्टोर	94.27
4.	नुकसान/ निष्फल व्यय	1051.14

5.	अनियमित व्यय	2651.09
6.	अनियमित खरीदारी	115.39
7.	अग्रिम राशि के गैर-समायोजन के मामले	424.47
8.	सरकारी पैसे को अवरुद्ध करना	6185.98
9.	महंगे स्टोर/सरकारी पैसे का गैर-लेखाकरण	44.18
10.	विशेष तरह की कोई अन्य वस्तु	21021.74
	<b>कुल</b>	<b>85392.20</b>

#### व्यय विभाग (डीओई) की अन्य उपलब्धियां -

1. **भविष्य पोर्टल:** संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ इस विभाग ने भी भविष्य पोर्टल के जरिये पेंशन मामलों की प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया है।
2. **पीजीआरएएमएस:** केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को इस विभाग में प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया गया है और अब तक 4508 शिकायतों में से 4475 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। इसके अलावा, सीपीजीआरएएमएस पर प्रदर्शन हेतु वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही के लिए श्रेणी बी में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की ओर से मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए व्यय विभाग का चयन किया गया है।
3. **स्वच्छ अभियान:** इस विभाग ने नवंबर, 2016 के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए 'स्वच्छता अभियान पखवाड़ा' मनाया है और स्वच्छता के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। इसके अलावा विभाग ने एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसका विषय था 'अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार में बदलाव लाकर कार्यस्थल को किस तरह से साफ और स्वच्छ रखें'।
4. **नोटबंदी पर कार्यशाला:** व्यय विभाग ने वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए मोबाइल बैंकिंग/ई-बैंकिंग के उपयोग पर 28 नवम्बर, 2016 को कार्यशाला आयोजित की, जिसमें एसबीआई, पीएनबी और आरबीआई के प्रतिनिधियों ने कैशलेस लेन-देन के लिए मोबाइल बैंकिंग/ई-बैंकिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में प्रस्तुतियां दीं। इस कार्यशाला में वित्त मंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी भाग लिया।
5. **ई-ऑफिस का क्रियान्वयन:** इस विभाग ने चरणबद्ध ढंग से मिशन मोड वाली एक परियोजना 'ई-ऑफिस' का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है और इसे संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

#### वेब आधारित ऑडिट पैरा मॉनीटरिंग सिस्टम (एपीएमएस)

सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर ऑडिट पैरा मॉनीटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) को क्रियान्वित किया गया है, ताकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के विभिन्न पैराग्राफों के कार्रवाई नोटों (एटीएन) के विभिन्न चरणों में लम्बित रहने की कम्प्यूटरीकृत निगरानी की जा सके। इस एप्लिकेशन से एटीएन की प्रस्तुति/पुनरीक्षण में आसानी होती है, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक चरण में पोर्टल पर इनको अपलोड किया जाता है।

#### मुख्य सलाहकार लागत (सीएसी) का कार्यालय

यह मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को कॉस्ट एकाउंट से जुड़े मसलों पर सलाह देता है। यह इनकी ओर से लागत संबंधी जांच का काम भी करती है। यह एक पेशेवर संस्था है जिसमें कॉस्ट एकाउंटेंट/चार्टर्ड एकाउंटेंट काम करते हैं।

मुख्य सलाहकार लागत (सीएसी) के कार्यालय द्वारा नवंबर, 2016 तक कुल मिलाकर 8556 अध्ययनों/रिपोर्टों को पूरा किया गया, जिनमें से 52 रिपोर्टों को वर्ष 2016 के दौरान (30 नवंबर तक) पूरा किया गया था। वर्ष के दौरान अध्ययन विभिन्न विषयों पर पूरे किए गए थे और इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

#### *(i) प्रणालीगत अध्ययन*

वर्ष 2011-12 और वर्ष 2013-14 के लिए आगरा स्थित हाइड्रोजन फैक्टरी में उत्पादित हाइड्रोजन गैस के बिक्री मूल्य के संबंध में ओवरहेड रेट तय करना।

#### *(ii) ऐसे उत्पादों/सेवाओं के उचित बिक्री मूल्य तय करना जिनमें सरका/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम उत्पादक/सेवाप्रदाता के साथ-साथ उपयोगकर्ता भी हैं*

- (क) वर्ष 2016-17 के लिए अफीम खरीद का उचित मूल्य तय करना
- (ख) वर्ष 2010-11 के दौरान डब्ल्यूडीओ द्वारा आपूर्ति की गई वेड दरियों के उचित मूल्य तय करना
- (ग) वर्ष 2010-11 के दौरान डब्ल्यूडीओ द्वारा आपूर्ति किए गए बैरक कंबल के उचित मूल्य तय करना

\*\*\*

वीके/आरआरएस/एम-17

(Release ID: 1485971) Visitor Counter : 9

